– : कार्यालय आदेश : –

अधिसूचना सं0 12/XXXVi(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लेखित प्राविधानों एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश सं0 75/स्था0/वरि0कोषा0/2019–20 दिनांक 25.05.2019 के अनुपालन में गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक, जो दि0 29.05.2019 को आहूत हुई है, की संस्तुति जो निम्नांकित प्रकार से है –

"शासन की अधिसूचना सं0 12/XXXVi(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 के तहत जनपद रुद्रप्रयाग के कोषागार एवम् उपकोषागारों में स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त सम्वर्गो (लेखाकार–04, सहायक लेखाकार–02, अनुसेवक–02) के कार्मिक शासनादेश सं0 108/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 01.05.2019 के प्रस्तर–3 में निर्धारित स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत (10%) के अन्तर्गत आवतरित नहीं हो रहे हैं, निर्धारित परिधि से अतिरेक होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णीत किया गया कि वर्तमान स्थानान्तरण सत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त सम्वर्ग के किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना विधि सम्मत नही होगा। अतः समिति उक्त शासनादेश के आलोक में उपर्युक्त सम्वर्गों के किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण की संस्तुति एतद्द्वारा नहीं की जाती है"।

अतः गठित स्थानान्तरण समिति के संस्तुति के आधार पर कोषागार, रुद्रप्रयाग अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत लेखाकार तथा सहायक लेखाकार संवर्ग व समूह 'घ' संवर्ग के किसी भी कार्मिक का वर्ष 2019–20 के लिए स्थानान्तरण एतद्द्वारा नहीं किया जाता है।

दिनांक : –07 जून, 2019

ह0/–
(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 97/10/अधि0/वरि0कोषा0रुद्र0/2019–20 दिनांक 07 जून, 2019

प्रतिलिपि : – निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं सूचनार्थ हेतु : –

1) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2) उपकोषाधिकारी, ऊखीमठ/अगस्त्यमुनि/जखोली।
3) सूचना विज्ञान अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश के निर्गत होने की तिथि से 2 दिनों के अन्दर बेबसाईट में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4) सम्बन्धित कर्मचारियों।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।